

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 98 / 2020

1. इन्द्राज सिंह पुत्र शिवचन्द राम उम्र 41 वर्ष निवासी रूपा का बास, हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुझुनू (राज.)
2. विजय सिंह पुत्र शिवचन्द उम्र ... वर्ष निवासी रूपा का बास, हरड़िया, तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज.)

..... प्रार्थीगण

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 09-03-2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम रूपा का बास स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 122 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम इन्द्राज पुत्र श्योचन्द के स्थान पर इन्द्राज सिंह पुत्र शिवचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम विजय सिंह पुत्र श्योचन्द के स्थान पर विजय सिंह पुत्र शिवचन्द दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। राज पैरोकार नायब तहसीलदार खेतड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमती व्यक्त की।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073-76 खाता सं. 122 ग्राम रूपा का बास पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम रूपा का बास स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 122 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम इन्द्राज पुत्र श्योचन्द के स्थान पर इन्द्राज सिंह पुत्र शिवचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम विजय सिंह पुत्र श्योचन्द के स्थान पर विजय सिंह पुत्र शिवचन्द दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम रूपा का बास स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 122 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम इन्द्राज पुत्र श्योचन्द के स्थान पर इन्द्राज सिंह पुत्र शिवचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम विजय सिंह पुत्र श्योचन्द के स्थान पर विजय सिंह पुत्र शिवचन्द दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजपाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी